इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 **द्‍वारा प्रमाणित)**

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 12 अंक संख्या: 11 जून, 2020 पृष्ठों की संख्या 17

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ --2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ -------------------------------------- 7
बैंकिंग जगत की घटनाएँ--7
विदेशी मुद्रा --- 8
शब्दावली-- 9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------------------------------- 9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां -----------------------------------10
संस्थान समाचार --10
नयी पहलकदमी ---15
बाजार की खबरें --15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 की मुख्य विशेषताएं

मौद्रिक नीति समिति की पहली द्विमासिक बैठक 20 मई से 22 मई, 2020 तक आयोजित की गई। 22 मई, 2020 को घोषित कुछेक निर्णय निम्नानुसार थे :

- **पुनर्खरीद (repo) दर 40 आधार अंक घटाकर 4.40% के स्थान पर 4.00% की गई।**
- **प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 40 आधार अंक घटाकर 3.75% के स्थान पर 3.35% की गई।**
- **बैंक दर और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) 4.25% पर समायोजित।**
- **आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग और सावधि देयताओं (NDTL) का 3% रखा गया।**
- **भारतीय निर्यात-आयात बैंक (Exim Bank) को 1 वर्ष तक की विस्तारणीय (roll-over) सुविधा के साथ वह जिस दिन प्राप्त की जाए उस दिन से 90 दिन की अवधि हेतु 15,000 करोड़ भारतीय रुपए की ऋण व्यवस्था।**
- **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की परिपक्वता 90 दिवसों की और अवधि के लिए विस्तारित।**
- **चुकौती संबंधी बाध्यताएं/दायित्व पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई समेकित ऋण शोधन निधि से अतिरिक्त रकम के उपयोग से संबन्धित प्रावधान को समर्थकारी बनाया गया।**

- **बैंकों को संबन्धित प्रतिपक्षों (**counterparties**) के प्रति समूह एक्सपोजर पूर्ववर्ती 25% से बढ़ाकर 30% करने में समर्थ बनाने के लिए एकबारगी प्रावधान।**
- **सावधि ऋण की किस्तों पर ऋण अधिस्थगन 31 अगस्त, 2020 तक की तीन माह की एक अन्य अवधि हेतु विस्तारित।**
- **कार्यशील पूंजी पर ब्याज के भुगतान के आस्थगन संबंधी प्रावधान 31 अगस्त, 2020 तक की तीन माह की एक और अवधि तक विस्तारित।**
- **अनर्जक आस्तियों के रूप में आस्ति वर्गीकरण से संबन्धित उक्त छूट 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी गई है।**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा परिवर्तित, 3 ट्रिलियन तक के ऋण घोषित

माननीया वित्त मंत्री ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत करने तथा उन्हें परिभाषित करने हेतु निवेश सीमाएं बढ़ाते हुये एक अतिरिक्त विशेषता के रूप में "वार्षिक पण्यावर्त" को लागू करते हुये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs **) की परिभाषा में परिवर्तन की सूचना दी है।**

राजपत्र (गज़ट) अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम के वर्गीकरण हेतु मानदंड निम्नानुसार होंगे :

- **जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो तथा पण्यावर्त पांच करोड़ रुपए से अधिक न हो, वह सूक्ष्म उद्यम होता है।**
- **जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपए से अधिक न हो तथा पण्यावर्त 50 करोड़ रुपए से अधिक न हो, वह लघु उद्यम होता है।**
- **जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपए से अधिक न हो तथा पण्यावर्त दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक न हो, वह मध्यम उद्यम होता है।**

उक्त अधिसूचना 01-07-2020 से प्रभावी है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 4.5 मिलियन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए 3 ट्रिलियन रुपए के संपार्श्विक –रहित स्वचालित (automatic) ऋणों की घोषणा की है। 31 अक्तूबर, तक उपलब्ध होने वाले ये ऋण केवल 25 करोड़ रुपए तक के बकाया ऋण वाली अथवा 100 करोड़ रुपए तक के पण्यावर्त वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा ही लिए जा सकते हैं। ये ऋण चुकौती पर 12 माह तक के ऋण स्थगन सहित 4 वर्षीय कार्यकाल वाले होंगे। सरकार बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मूलधन एवं ब्याज दोनों पर 100% ऋण गारंटी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। पहले वर्ष के ब्याज के संचित होने की परिकल्पना की गई है तथा चुकौती ऋण के सम्पूर्ण कार्यकाल तक फैली होगी, क्योंकि सम्पूर्ण संचित ब्याज की चुकौती की पहले वर्ष के तत्काल बाद अपेक्षा किए जाने से कंपनियों पर अनुचित दबाव पड़ेगा।

सभी सरकारी निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से संबन्धित उनकी सम्पूर्ण देय राशियों को 45 दिनों में चुकाना होगा। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के ऋण गारंटी निधि न्यास (CGTMSE) को 4,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जो बैंकों को आंशिक ऋण गारंटी सहायता उपलब्ध कराएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ एक वृहद (mega) निधि की स्थापना भी की जाएगी। व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, जो निर्यात संवर्धन की नियमित एवं महत्वपूर्ण विशेषता हुआ करती थी, के स्थान पर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ई-मार्केट सहलग्नताओं को समर्थन प्रदान करने जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण स्थगन को 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया उधारकर्ताओं को ऋण चुकाने हेतु अधिक समय देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने समीकृत मासिक किस्त भुगतानों पर ऋण स्थगन और तीन माह के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 के अंत तक कर दिया है जिससे कुल ऋण स्थगन अवधि 6 माह की हो गई है। कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज भुगतान का आस्थगन भी 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 2020 को सभी सावधि ऋणों पर (1 मार्च से 31 मई तक) की तीन माह की ऐसी ऋण स्थगन अवधि प्रदान की थी जिसके दौरान फ़र्मों ने ऋण स्थगन अवधि समाप्त हो जाने के बाद आस्थगित ब्याज का एक साथ ही भुगतान किए जाने पर चिंता व्यक्त की थी।

इसप्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं से आस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर संचित ब्याज को "वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले पुनरदेय" निधिक (funded) ब्याज वाले सावधि ऋण में परिवर्तित करने के लिए कहा था। ऋण स्थगन अथवा आस्थगन के कारण भुगतान के पुनर्निर्धारण को चूक नहीं माना जाएगा। जो मार्च, 2020 में मानक रहे हों तथा जिन्होंने ऋण स्थगन का विकल्प अपनाया था, ऐसे सभी खातों के मामले में आस्ति वर्गीकरण में स्थिति यथावत बनी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मामलों में जहां काफी बड़ी संख्या में खातों में चूक हुई है तथा 210 दिनों के बाद भी कोई समाधान योजना कार्यान्वित नहीं की गई है, प्रावधानीकरण मानदंडों को शिथिल कर दिया है। इसप्रकार की आस्तियों को निपटाने के लिए विस्तार देने हेतु बैंकों से ऋण स्थगन को 30 दिनों की पुनरीक्षण अवधि अथवा 180 दिन की समाधान अवधि की गणना से अलग रखने के लिए कहा गया है। ऋणदाताओं से भी यह कहा गया है कि वे कार्यशील पूंजी ऋणों के मामले में अपने मार्जिनों को घटाकर 31 अगस्त, 2020 तक अपने उस आहरण अधिकार/शक्ति की पुन: गणना करें जिसे 31 मार्च, 2021 तक वापस पाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को किसी उधारकर्ता कंपनी के 31 मार्च, 2021 तक के कार्यशील पूंजी चक्र का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुमति भी दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आयात बिलों का भुगतान करने हेतु अधिक निर्यात ऋण, अधिक समय प्रदान किया

कोविड-19 संकट की पृष्ठभूमि में आयात आदेशों का भुगतान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने आयातकों और निर्यातकों को अधिक समय और चलनिधि प्रदान करते हुये उच्चतर निर्यात ऋण, अधिक समय सहित छूटों की एक शृंखला जारी की है तथा ऋणों का भुगतान करने हेतु लचीलापन बढ़ा दिया है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक को उसे डालर अदला-बदली (swap) सुविधा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए (एक वर्ष तक की विस्तारणीय अवधि सहित) 90 दिनों की अवधि के लिए 15,000 करोड रुपए की ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। बैंकों द्वारा निर्यातकों को स्वीकृत किए जाने वाले पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण की अधिकतम अनुमेय अवधि भी 31 जुलाई, 2020 तक के संवितरणों में (पूर्ववर्ती 12 माह से) बढ़ाकर 15 माह कर दी गई

है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों की वसूली और उनके भारत को प्रत्यावर्तन में लगने वाली अवधि को भी 9 माह से बढ़ाकर 15 माह किए जाने की अनुमति दे दी है। यह व्यवस्था पोतलदान हेतु भेजे गए निर्यात की तिथि से 31 जुलाई, 2020 तक वैध होगी।

आवक माल (inbound) के पोतदानों के मामले में अब आयातकों को पूर्ववर्ती 6 माह की तुलना में जावक विप्रशन पूरा करने हेतु 12 माह का समय प्राप्त होगा। हालांकि, उक्त नयी सुविधा सोने, हीरे, भूमूल्य नगों अथवा आभूषणों के लिए नहीं प्राप्त होगी।

किसी समूह के प्रति बैंक एक्सपोजर की सीमा 5% बढाई गई

बड़े कारपोरेटों को ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर की सीमा 5% बढ़ाकर 30% कर दी है। यह छूट 30 जून, 2021 तक उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 संकट की पृष्ठभूमि में ऋण बाजारों और अन्य बाज़ारों के पूंजी खंडों में व्याप्त अधिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप कार्पोरेटों को पूंजी बाजार से निधियाँ जुटाने में कठिनाई हो रही है और इसलिए वे अपने निधियन के लिए मुख्यत:बैंकों पर निर्भर करते हैं। चूंकि पूर्ववर्ती सीमा से कार्पोरेटों को बैंकों से अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त करने कठिनाई हो रही थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन समस्याओं के निवारण के लिए यह अल्पावधिक उपाय आरंभ किया है।

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग का पालन करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अधिक समय मिला

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (VRR) के अधीन शर्तों का पालन करने हेतु अधिक समय प्रदान किया है जिसमें आबंटित सीमाओं का कम से कम 75% तीन माह के भीतर निवेश किया जाना होता है। जिन्हें 24 जनवरी और 30 अप्रैल, 2020 के बीच निवेश सीमाएं आबंटित की गई हैं, उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को तीन माह का एक अतिरिक्त समय प्राप्त होगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याजगत आर्थिक सहायता योजना मार्च, 2021 तक बढ़ाई

निर्यातकों को महत्वपूर्ण राहत पहुँचाते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने पोतलदानोत्तर और पोतलदान-पूर्व रुपया निर्यात ऋण हेतु ब्याजगत आर्थिक सहायता (interest subsidy) योजना को 31 मार्च, 2021 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। निर्यातकों को आर्थिक सहायता ब्याज समकारी (Interest Equalisatipn) योजना के तहत प्राप्त होती है। सरकार ने पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकारी योजना के उतने ही विषय-क्षेत्र तथा उतनी व्याप्ति के लिए विस्तार को 1 अप्रैल, 2020 से एक और वर्ष के लिए अनुमोदित कर दिया है।

विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रतिरक्षण /की बचाव व्यवस्था की कार्यान्वयन अवधि स्थगित

विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रतिरक्षण/की बचाव व्यवस्था से संबन्धित निदेश 1 जून, 2020 से कार्यान्वित किए जाने थे। हालांकि, कोविड-19 से पैदा हुई कठिनाइयों के प्रभाव के कारण इन निदेशों की कार्यान्वयन तिथि 1 सितंबर, 2020 तक स्थगित कर दी गई है। अपतटीय गैर-निष्पादय् (non-deliverable) रुपया व्युत्पन्नी (derivatives) बाजार में बैंकों की सहभागिता से संबन्धित निदेश 1 जून, 2020 से प्रभावी हुये हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां (IBUs) काउंटर पर किए जाने वाले सभी विदेशी मुद्रा सौदों/लेनदेनो की रिपोर्ट भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड प्लेटफार्म पर करेगे

1 जून, 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (IFSC) बैंक इकाइयों (IBUs) द्वारा काउंटर पर किए जाने वाले सभी (अंतर-बैंक एवं ग्राहक) विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और ऋण व्युत्पन्नी (credit derivative) लेनदेनों के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के व्यापार रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना

अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, 31 मई, 2020 के दिन सभी परिपक्व और बकाया लेनदेनों को भी 31 जुलाई, 2020 तक भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना है। यह डाटा की व्यापकता को सुनिश्चित करने हेतु किया गया एक एकबारगी उपाय है।

इसके अतिरिक्त, 1 जून, 2020 से बैंक इकाइयां (IBUs**) परिचालित करने वाले बैंकों को भारत में निवास न करने वाले व्यक्तियों को रुपए अथवा अन्यथा न देने योग्य (** non-deliverable**) व्युत्पन्नी संविदाएं (**derivative contracts**) प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है।**

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	22 मई, 2020 के दिन बिलियन रुपए	22 मई, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	3721819	490044
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3430708	451706
(ख) सोना	248955	32779
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10876	1,432
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	31278	4127

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जून, 2020 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.30300	0.26700	0.28600	0.32500	0.37900
जीबीपी	0.19920	0.2659	0.2572	0.2728	0.3017
यूरो	-0.21930	-0.287	-0.297	-0.287	-0.268
जापानी येन	-0.00560	-0.023	-0.035	-0.040	0.036
कनाडाई डालर	0.85000	0.591	0.651	0.715	0.777
आस्ट्रेलियाई डालर	0.18250	0.240	0.293	0.401	0.479

स्विस फ्रैंक	-0.60500	-0.650	-0.640	-0.618	-0.585
डैनिश क्रोन	-0.04720	-0.0840	-0.0920	-0.0815	-0.0605
न्यूजीलैंड डालर	0.27300	0.268	0.283	0.325	0.388
स्वीडिश क्रोन	0.11500	0.104	0.119	0.139	0.172
सिंगापुर डालर	0.30000	0.325	0.385	0.455	0.520
हांगकांग डालर	1.27000	1.170	1.150	1.125	1.110
म्यामार	2.13000	2.110	2.135	2.220	2.270

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (VRR)

स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग मार्च, 2019 में लागू किया गया था। इस मार्ग के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को (प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार कही जाने वाली) आबंटित रकम का निवेश संबन्धित ऋण लिखत में करना होता है और उसे कुछेक छूटों की शर्त पर स्वैच्छिक प्रतिधारण अवधि के दौरान निविष्ट रखना होता है। न्यूनतम छूट की अवधि 4 वर्ष रखी गई थी।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

न देने योग्य व्युत्पन्नी संविदा (NDDC)

न देने योग्य व्युत्पन्नी संविदा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ की जाने वाली रुपए से संबन्धित एक ऐसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा होती है, जो भारत का निवासी न हो तथा जिसका निपटान रुपए की सुपुर्दगी के बिना किया जाता हो.।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून 2020 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
तुलनपत्र विश्लेषण और अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	20 से 21 जून, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	5 से 7 जून, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	12 से 14 जून, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित जोखिम व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	23 से 25 जून, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

परोक्ष रूप से निरीक्षित (Remote proctored) परीक्षाएँ

संस्थान को परोक्ष रूप से निरीक्षित ऐसी परीक्षाएँ आरंभ किए जाने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है जिनमें अभ्यर्थियों को ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपने घरों में बैठकर परीक्षाओं मे शामिल हों तथा अपने ज्ञान के आधार को बढ़ा सकें। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- निम्नलिखित तीन नामों वाली प्रमाणपत्र परीक्षाओं का परोक्ष रूप से निरीक्षण : धन-शोधन निवारण/अपने ग्राहक को जानिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं धोखाधड़ी प्रबंधन।
- परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों एवं रविवारों को आयोजित की जाएगी।
- प्रत्येक प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 60% होगा।
- तीनों विषयों के लिए परीक्षाएँ भौतिक केन्द्रों पर नहीं आयोजित की जाएंगी।
- परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- परोक्ष निरीक्षण स्वत: निरीक्षण और भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के मिले-जुले रूप वाला होगा।

जुलाई परीक्षाओं के लिए नये पंजीकरण किए जा सकेंगे। पंजीकरण 9 जून, 2020 से आरंभ होंगे।

विस्तृत अनुदेशों, परीक्षा हेतु निर्धारित कार्यक्रम, नियमों एवं विनियमों के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें :

http ://// www.iibf.org.in/documents/pdf/Rules%20and%20regulation%20of%20RP%20exam-20200525.pdf

लाकडाउन अवधि के दौरान संस्थान द्वारा विशेष पहलकदमी

लाकडाउन को देखते हुये संस्थान 17 मई, 2020 तक भौतिक रूप से बंद है। तथापि, इसके कर्मचारियों ने घर से काम करना जारी रखा है तथा वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण गतिविधियां परिचालित होती रहें। संस्थान ने अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना (BCP) लागू कर रखी है। लगभग 10,000 प्रमाणपत्र डिजिटल विधि से हस्ताक्षरित किए और भेजे गए हैं, उसके सभी प्रकाशन आदि डिजिटल विधि से जारी किए जा रहे हैं।

संस्थान ने बैंकिंग एवं वित्त व्यावसायिकों के लिए कुछेक विशेष आनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की भी पहल की है। निम्नलिखित सुविधाएं तीन माह के लिए लागत-रहित उपलब्ध कराई गई है:

- जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा कारबार संपर्कियों के लिए वीडियो व्याख्यान।
- जेएआईआईबी (3 विषयों), सीएआईआईबी (2 विषयों) और ऋण प्रबंधन के लिए ई-शिक्षण।

जहां वीडियो व्याख्यान सभी के लिए संस्थान के यू ट्यूब पृष्ठ पर पहले से ही उपलब्ध हैं, वहीं ई-शिक्षण की सुविधा उन्हीं लोगों को 3 माह के लिए उपलब्ध होगी जो पंजीकृत हें।

संस्थान ने कुछेक प्रकार के जोखिमों और बासेल ई दिशानिर्देशों, मूल व्युत्पन्नी (derivative) उत्पादों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में नयी घटनाओं और भुगतान प्रणालियों

तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्तीयन जैसे समसामयिक विषयों पर कुछेक आनलाइन सत्रों का आयोजन किया है।

संस्थान को उसके द्वारा की गई उपर्युक्त विशेष पहलकदमियों में काफी अच्छी संख्या में पंजीकरण एवं सहभागिता परिलक्षित हुई है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के वि0श्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance**) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।**

बैंकों में क्षमता निर्माण

संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात परिचालन के चार मुख्य क्षेत्रों, यथा खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन और ऋण प्रबंधन में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ये पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा। कृपया परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in **देखें।**

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित

प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in **देखें।**

परीक्षाओं के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने मुख्य पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों यथा प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जांच सुविधा प्रदान करता है। उक्त छद्म जांच में कोई भी बैंक कर्मचारी शामिल हो सकता है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें
हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुयें हैं :

- **अप्रैल-जून, 2020 - स्ट्रैटेजिक टेकनालोजी ट्रेंड्स इन बैंकस - सब थीम्स : ट्रेडीशनल लेंडिंग टू डिजिटल फलो बेस्ड लेंडिंग , फिंटेक लैंडस्केप इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर एक्सपीरिएन्स अप्रैल – जून, 2020**
- **जुलाई-सितंबर, 2020 – नान बैंकिंग फाइनैन्सियल कंपनीज़, सिस्टेमिक रिस्क ऐंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग फाइनैन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा अगस्त/सितंबर,2020 से फरवारी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए**

विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में

3**0**

जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जून, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में** 30 **दिसंबर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

5.1
4.9
4.**7**
4.5
4.**3**
4.1
3.9

3.7

3.5

दिसंबर, **2019**, **जनवरी**, **2020**, **फरवरी**, **2020**, **मार्च**, **2020**, **अप्रैल**, 2020, **मई, 2020**

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर मई, **2020**

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95

90

85

80 **शृंखला 1**

75 **शृंखला 2**

70 **शृंखला 3**

65 **शृंखला 4**

60

दिसंबर, **2019**, **जनवरी**, **2020**, **फरवरी**, **2020**, **मार्च**, **2020**, **अप्रैल, 2020, मई, 2020**

स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

8.9

8.4

7.9

7.4

6.9

6.4

5.9

नवंबर, 2019, दिसम्बर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

43000.00
41000.00
39000.00
37000.00
35000.00
33000.00
31000.00
29000.00
27000.00
दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020,मई, 2020

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

13
12
11
10
9
8
7
नवंबर, 2019, दिसंबर, 2019, जनवरी, 2020, फरवरी, 2020, मार्च, 2020, अप्रैल, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम मई, 2020

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, **टावर**-1, **2री मंजिल,**

किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070

टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 **फैक्स : 91-22-2503 7332**

तार : INSTIEXAM **ई-मेल** : admin@iibf.org.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जून, 2020

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए